

पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई, भोपाल की कैंटीन संचालन हेतु निविदा

❖ कार्य प्रबंधन क्षेत्र (Scope of Work) :

- पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (PSSCIVE), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एन.सी.आर.टी. की एक घटक इकाई है। यह भारत का व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है।
- ठेकेदार को संस्थान में आयोजित कार्यक्रम जैसे – बैठक, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला आदि में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के लिए चाय, कॉफी, दोपहर का भोजन और नाश्ता आदि की अपूर्ति की व्यवस्था की जानी अपेक्षित है। अतिथि गृह में ठहरने वाले प्रतिभागियों के लिये समय – समय पर बेड टी, नाश्ता और रात के खाने की व्यवस्था भी की जानी अपेक्षित है।
- इसके अलावा संस्थान में समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है जिसमें चाय, कॉफी, स्नैक्स आदि की आपूर्ति की जानी अपेक्षित है।
- अनुबंधित फर्म/agency द्वारा अतिथि गृह में ठहरे अतिथियों को निम्न समय पर चाय/भोजन उपलब्ध कराना होगा। कैंटीन का संचालन समय प्रातः 08 बजे से रात्रि 9 बजे तक का है।

प्रातः	6:00 बजे	:	Bed Tea
प्रातः	8:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे	:	सुबह का नाश्ता
दोपहर	1 से 2 बजे अपराह्न	:	भोजन
रात्रि	8 से 9 बजे तक	:	रात्रि भोजन

- कैंटीन में अनुमोदित वस्तुओं की सूची तथा दर बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।
- संस्था को प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- संस्थान द्वारा फर्म की कार्य क्षमता, गुणवत्ता एवं संतोषजनक कार्य को देखते हुए अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
- संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में चाय नाश्ता, बफे ब्रेक फास्ट, लंच, डिनर आदि में भोजन परोसने हेतु हॉट केस, क्राकरी, कांच के गिलास, टी सेट, कटलरी, पेपर नेपकिन, आई.एस.आई मार्क पैकड वाटर डिस्पोजल प्लेट, काटोरी, ग्लास चम्मच तथा आवश्यक संस्था में वर्दीधारी वेटरों की व्यवस्था फर्म द्वारा की जाएगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जाएगा।
- अनुबंधित फर्म द्वारा निर्धारित पर खाद्य सामग्री ताजी एवं गर्म परोसी जायेगी।
- समय – समय पर अनुबंधित फर्म को पैकड ब्रेकफास्ट/डिनर /लंच प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकता है जिसके लिये पैकिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा जारी नियमों के अनुसार किया जाना आवश्यक है तथा पैकिंग के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जावेगा।
- कार्य आदेश की मात्रा को देखते हुए फर्म के अनुरोध पर संस्थान परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु संस्थान द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने के उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन, ईंधन

आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी । खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना होगा । बिजली संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी (जिसका आपके द्वारा भुगतान किया जाना होगा)

- संस्थान द्वारा समय – समय पर आयोजित कार्यक्रमों के खाद्य / पेय सामग्री प्रदाय हेतु समक्ष / अधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित कार्यादेश प्रदाय किया जाएगा, जिसके आधार पर ही प्रदाय की गई सामग्री के देयकों का भुगतान देय होगा ।

❖ **नियम व शर्तें (Terms and Condition) :**

- a) **Licence Fee:** Annexure I में दर्शाये गये विवरणानुसार केन्टीन संचालक को परिसर में मासिक दरों पर स्थान को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस Rs.3000.00 प्रतिमाह रहेगी, जिसमें पानी की दर समिलित होगी ।
- b) **Electricity :** ठेकेदार को विद्युत उपयोग के संबंध में वास्तविक उपभोग के अनुसार व्यावसायिक दरों पर भुगतान संस्थान को मासिक आधार पर करना होगा ।
1. फर्म द्वारा पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को प्रदाय किये जाने भोजन हेतु उच्च गुणवत्ता के अनाज, दालें ताजी सब्जियां, तेल, ब्रांडेड एगमार्क मसाले एवं मिलावट रहित डेरी प्रोडक्ट्स दही दूध, पनीर, मावा आदि गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री का उपयोग किया जा जाएगा ।
 2. उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे कप, प्लेट, गिलास, थाली तथा अन्य बर्तन साफ होना चाहिए ।
 3. प्लास्टिक के कप के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
 4. संस्थान कैंटीन में मांसाहार, नशीली वस्तुओं, तम्बाखू उत्पाद, सिगरेट सहित किसी प्रकार की आपत्तिजनक, अवैध सामग्री का विक्रय/सेवन अनुमत नहीं है । ठेकेदार व उनके सभी कार्मिक इसकी अनिवार्यतः अनुपालन करेंगे । इसमें लिप्त पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से केन्टीन संचालन का अनुबंध रद्द कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।
 5. संस्थान द्वारा गठित निगरानी समिति को यह अधिकार होगा कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसी खाद्य सामग्री को चखकर (जाकर) सुनिश्चित कर जिसके लिए उपयोग सामग्री का कोई मूल्य पृथक से देय नहीं रहेगा ।
 6. सफल ठेकेदार की निविदा सुरक्षा राशि संस्थान में धरोहर राशि (Performance Security Guarantee) जमा कराने पर एवं अनुबंध के निष्पादित को जाने के पश्चात लौटा दी जायेगी ।
 7. सफल ठेकेदार / ऐजेंसी / फर्म को धरोहर राशि (Performance Security) के रूप में **वार्षिक कुल Menu Cost का 5 प्रतिशत** इस संस्थान की लेखा शाखा में जमा करनी होगी । यह राशि संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा, संस्थान भोपाल के नाम पर डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी । सफलता पूर्ण कार्यकाल पूरा होने पर यह राशि वापस कर दी जायेगी । इस संबंध में अवधायक द्वारा No Dues प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । किसी भी तरह के नुकसान / तोड़-फोड़ होने की दशा में उक्त राशि में से कटौती भी की जायेगी ।

8. सफल निविदाकर्ता को संस्थान एवं नगर निगम, भोपाल द्वारा समय—समय पर जारी किये गये नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा ।
9. यदि निविदाकार निविदा के संबंध में कोई भी जानकारी चाहता है तो वह संस्थान के परिसर एवं कल्याण विभाग से प्राप्त कर सकता है ।
10. संस्थान निविदा फर्म को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये जिम्मेदार नहीं होगा ।
11. केन्टीन के कर्मचारियों द्वारा असावधानी के कारण हुई तोड़—फोड़ या संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की दशा में अनुबंधित फर्म क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी रहेगा ।
12. Agency/अनुबंधित फर्म द्वारा कर्मचारियों के बारे में जानकारी देते समय उनके फोटोग्राफ के साथ निम्न जानकारी प्रस्तुत करनी होगी । 1. नाम 2. पिता का नाम 3. जन्मतिथि 4. वर्तमान पता 5. स्थायी पता 6. शैक्षणिक योग्यता 7. नमूना हस्ताक्षर । उपरोक्त जानकारी और फोटोग्राफ एजेंसी/अनुबंधित/फर्म/निविदाकार के अधिकारीक व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए ।
13. केन्टीन के तथा उसके आस—पास की जगह को ठेकेदार द्वारा स्वच्छ रखना होगा तथा केन्टीन से निकले हुए कचरे को भी स्वच्छता एवं सुरक्षित रूप से नष्ट करवाना होगा ।
14. केन्टीन में उपयोग आने वाली गैस की दरें ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगी तथा अनुबंधित कार्यकाल पूर्ण होने पर No Dues Certificate परिसर एवं कल्याण अनुभाग में जमा कराना होगा ।
15. ठेकेदार द्वारा रखे गये कर्मचारी शासकीय अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य पाये गये हो । इस संबंध में ठेकेदार द्वारा (Fitness Certificate should be submitted by the contractor/agency etc.) रखे गये कर्मचारियों का स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
16. किसी भी परिस्थिति में केन्टीन के समय की समाप्ति के बाद ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी संस्थान/केन्टीन परिसर के अंदर नहीं रुकेगा । संस्थान के बंद होने की स्थिति में केन्टीन को भली—भाँति बंद किया जाना होगा । ठेकेदार को अनुबंध से अधिक जगह नहीं दी जायेगी । इस अनुबंध को ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों को मान्य करना होगा । ठेकेदार को आंवटित किये गया परिसर का संस्थान द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है ।
17. विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर संस्थान द्वारा नियम एवं शर्तों में परिवर्तन कर सकता है ।
18. ठेकेदार व उसके कार्मिक संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों, विद्यार्थियों व अतिथियों से आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे । विशेषकर महिला वर्ग से शिष्टता व सुशील आचरण व व्यवहार करेंगे ।
19. सफल निविदाकार्ता को पं.सु.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा । अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि को जब्त किया जा सकता है ।
20. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूतम 01 माह के पूर्व सूचना देनी होगी ।
21. खाद्य सामग्री सत्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का आदेश पं.सु.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा, संस्थान द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जायेगी । इसमें जो भी आर्थिक हानि

- होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जायेगी । ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार संयुक्त निदेशक, पं.सं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा ।
22. खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में नियोजित कारीगर एवं वेटरों की श्रम नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन वेतन देने तथा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी.एकट कान्ट्रेकट लेबर एकट के प्रावधानों (इनमें से जो भी लागू) के अनुपालन में समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित फर्म की होगी । खाद्य सामग्री बनाने एवं परोसने में बाल श्रमिकों को नियोजित नहीं किया जाएगा ।
 23. यदि केटरिंग फर्म द्वारा पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान को प्रदाय की गई खाद्य सामग्री को व्यक्तियों द्वारा खाए जाने के पश्चात् फूड पाईजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्य अनुबंधित फर्म का होगा ।
 24. कैंटीन / केटरिंग व्यवस्था के लिए केन्द्र/राज्य शासन एवं रथानीय निकायों द्वारा समय – समय पर अधिरोपित कर एवं ड्यूटीज का भुगतान समय समय पर अनिवार्य रूप से करने का उत्तरदायित्य चयनित फर्म का होगा । फर्म के देयक से नियमानुसार टैक्स की कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी ।
 25. खाद्य सामग्री गुणवत्ता युक्त प्रदाय नहीं करने पर देयक में से 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकती है ।
 26. निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बिल में देय टैक्स की दर पृथक से प्रस्तुत करें ।
 27. जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी ।
 28. स्वीकृत / अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा ।
 29. निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपरिथित होने पर संयुक्त निदेशक, पं.सुं.श.केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।
 30. निविदाकारों द्वारा दी गई वित्तीय दर समान होने पर संस्थान स्वविवेक से पैरामीटर/प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा / आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
 31. न्यायालयीन विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा ।
 32. कैंटीन में अनाधिकृत लोगों को प्रवेश वर्जित रहेगा ।
 33. निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रूपये 500/- (पांच सौ मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
 34. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है ।
 35. यह निविदा अहस्तांतरणीय है ।

36. निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा केंटीन में कार्यरत कर्मियों की कार्य पर से अनुपस्थिति अथवा कार्यालयीन समय पर अभद्र व्यवहार कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा नशे की हालत में पाए जाने पर संस्थान द्वारा केंटीन संचालन बंद/अनुबंध रद्द करवाने का अधिकार संस्थान को रहेगा ।
37. भुगतान हेतु देयक आगामी माह के प्रथम सप्ताह में सभी आवश्यक पूर्तियों के साथ संस्थान में जमा करें। छ: माह से अधिक अवधि के देयक भुगतान करने हेतु संस्थान बाध्य नहीं होगा ।
38. केंटीन संचालन, खाने की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर किसी भी समय निविदा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार संयुक्त निदेशक, PSSCIVE को होगा ।

❖ **पात्रता मानदंड (Eligibility Conditions) :**

1. निविदाकर्ता के पास FSSAI (Food Safety and Standards Authority Of Indian) का रजिस्टरेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. भारत सरकार/राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के साथ जी.एस.टी.पंजीकृत होना चाहिए।
3. स्थानीय/नगर निकाय के साथ पंजीकृत होना चाहिए या संबंधित स्थानीय सरकार द्वारा जारी इस कार्य हेतु एक वैध लाइसेंस/पंजीकरण होना चाहिए।
4. होटल, हॉस्टल मेस/गेस्ट हाउस/कैन्टीन या किसी भी सरकार को चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाए।
 1. प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि दर्शाते हुए दुकान और प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र।
 2. फर्म के तीन साल के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए आयकर/सेवा कर निर्धारण /जी.एस.टी आदेश
5. भारत सरकार के किसी भी विभाग या किसी राज्य /या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /सरकार के स्वायत्त संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकारी संगठन द्वारा बोली दाता फर्म को ब्लैक लिस्ट में न डालने के संबंध में एक वचन बंध बोली दाता द्वारा **Annexure - II** में दिए गए प्रारूप में निविदा दस्तावेज में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
6. आयकर कार्यालय द्वारा जारी पैन नंबर होना चाहिए। (प्रोप्राइटरशिप फर्म के मामले में प्रोप्राइटर का पैन कार्ड काम करेगा)। तीन वर्षों अर्थात् वितीय वर्ष 2020–21, 2021–22, और 2022–23 के लिये लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, आई.टी.आर.की प्रति एवं सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले 3 वर्षों के लिए रु. 10,00,000/- के वार्षिक औसत कारोबार को दर्शाने वाला सहायक दस्तावेज संलग्न करें।
7. **Annexure - III** के अनुसार एक अण्डर टेकिंग देनी होगी की बोली लगाने वाले के पास न्यूनतम बुनियादी ढांचा, जैसे एलपीजी/सिलेंडर स्टोव, रसोई उपकरण, बर्तन जनशक्ति आदि उपलब्ध है।
8. संस्थानों/संगठनों की सूची (पूरे डाक पते के साथ) जहां पूर्व में निविदाकर्ता द्वारा खानपान सेवा प्रदान की गई और उन संस्थानों/संगठनों की सूची जहां वर्तमान में खानपान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, (संबंधित संस्थानों/संगठनों में संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम और टेलीफोन नंबर भी दिए जाए) की सूची संलग्न करें ।

9. अनुबंधित फर्म के नाम श्रम विभाग द्वारा जारी उनके कर्मचारियों के लिए श्रम लाइसेंस की वैध प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें ।
10. अनुबंधित फर्म भोपाल (म.प्र.) में स्थित होना चाहिए ।

- Evaluation:

1. PSSCIVE यह निर्धारित करने के लिए निविदाओं का मूल्यांकन करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या कोई कम्प्यूटेशनल त्रुटियां की गई हैं, क्या दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं और क्या निविदाएं आमतौर पर क्रम में हैं ।
2. यदि शब्दों और अंकों के बीच कोई विसंगति आती है तो शब्दों में दी गई राशि मान्य होगी । विस्तृत मूल्यांकन से पहले, PSSCIVE प्रत्येक बोली की पर्याप्त जवाब देही निर्धारित करेगा । पर्याप्त रूप से प्रतिक्रियात्मक बोली वह होती है, जो बिना किसी भौतिक विचलन के बोली दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों के अनुरूप होती है । पर्याप्त रूप से गैर-उत्तरदायी निर्धारित की गई बोली को PSSCIVE द्वारा अस्वीकारकर दिया जाएगा ।
3. मूल्यांकन विभिन्न बोली दताओं द्वारा दिए गए वित्तीय प्रस्ताव के अधार पर Quote की गई सभी दरों और प्रस्ताव की अन्य मेरिट के आधार पर किया जाएगा ।
4. हालांकि मूल्यांकन वित्तीय बोली में Quote समग्र न्यूनतम कुल राशि पर आधारित होगा । सबसे कम प्रस्ताव/बोली लगाने वाले का निर्णय बोली दताओं द्वारा Quote किए गए कुल न्यूनतम दरों के आधार पर किया जाएगा । तथापि इस प्रकार चयनित एल-1 बोलीदाता को खाद्य की गुणवत्ता और मात्रा से समझौता किए बिना वित्तीय बोली में Quote अन्य व्यक्तिगत मदों की एल-1 दरों का मिलान करना होगा । हालांकि PSSCIVE सबसे कम प्रस्ताव का स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उच्च बोली लगाने वाले को जो संस्थान की आवश्यकता को पूरा करता है को काम देने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

कैंटीन एवं खान-पान व्यवस्था (केटरिंग) हेतु निविदा वर्ष 2024 (Financial Bid)

खाद्य सामग्री का विवरण एवं दर सूची।

Rates for PSSCIVE Official meetings/programmes restricted to the NCERT rates.

Sl.	Particulars	NCERT rates.	Rates quoted with GST
1.	<p>Bed Tea (06:00 to 06:30 am at Guest House/Hostel Rooms)</p> <p>Break fast on rotation basis</p> <p>1. Tea, Coffee</p> <p>2. Bread with butter and Jam and one Boiled egg</p> <p>3. (any one) Aaloo Parathha with curd or Puri Sabjee or Paratha with sabji or Choley Bhature.</p> <p>4. (any one) Daliya with milk or Daliya Namkeen or Oats with milk or Cornflex with milk or Uppma with Chatni or Idli sambar or Vada Sambar.</p>	60/-	
2	<p>Two time tea with snacks during programmes</p> <p>a. Morning Tea at 11:00 am Tea/Coffee with Samosa or Kachori or Alubada or Bhajiyा or Moongede or Dhokla and one Banana</p> <p>b. Evening Tea at 04:00 pm Tea/Coffee with Biscuits</p>	40/-	

3	Working Lunch (PAC Prog.) 1. Chapati and Puri or Millets based Roti (Ragi or Jawar or Bajra) 2. Rice – (Jeera or Pulav or Plain rice) 3. Seasonal Vegetable 4. Paneer Dish (Palak Paneer or Butter Paneer masala or Shashi paneer or Paneer bhurji or Malai kofta. 5. Dal (Dal fry or Dal Tadka or Mix Dal or Pulses Moong Dal or Dal Makhani or Chole 6. Papad (Rosted) 7. Green Salad 8. Plain curd (Branded Such as Sachi /Amul) Or Boondi Raita or Fruit Raita or Plain Raita. 9. Sweets (Any one) Kheer or Halwa or Gulab jamoon or Rasogolla or Moong halwa or Suji halwa or Halwa of Rajgeere flour or Millet Laddu or Ragi ke laddo) of Standard Quality.	140/-	
5	Dinner 1.Roti 2.Rice (Basmati/Plain) 3.Dal (Yellow or Mung dal or Mix dal or Rajma etc.) 4.Seasonal Vegetable 5.Salad, Achaar, Papad.	100/-	
Total menu cost per day per person		340/-	

1. Note: Every day one millet food is required to be served during/ lunch/Break fast any one item from (Bajra, jawar, maize.etc.)

2. Note: Dishes cooked for lunch shall not be served in the dinner

पं.सु.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई, भोपाल की कैटीन संचालन हेतु निविदा

Annexure – I

Details of space provider for the canteen of PSS Central Institute of Vocational Education, Bhopal

S.No.	Accommodation including	Area in Sq. ft	Total Area Insq. Ft.	Minimum Rent/License fee of the Council which will be revised from time to time
01	Dining Hall	1062 sq.ft	1687 Sq.Ft	Rs. 1500/- Per month
02	Store Room 1	121 sq.ft.		
03	Living Room	224 sq.ft.		
04	Kitchen	280 sq. ft.		
05	Water charges			Rs. 1500/- Per month
	Total			Rs. 3000/- Per Month

पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई, भोपाल की कैंटीन संचालन हेतु निविदा

Annexure-II

An undertaking enclosed of Annexure of the tender/bid document on non-judicial stamp paper Rs.500/- attested by notary.

UNDERTAKING

I/We have read and understood the Contents of tender and agree to abide by the terms and conditions of this tender and undertake the following:

1. I/We also confirm that in the event of my /our tender being accepted. I/We hereby undertake to furnish Performance Security, As mentioned in the bid document.
2. I/We further undertake that none of the Proprietor/Partners /Directors of the firm was or is proprietor or partner or Director of any firm with whom the government have banned/suspended business dealing. I/we further undertake to report to the PSSCIVE, Bhopal immediately after we are informed but, in any case, not later than 15 days, if any firm in which Proprietor/Partners/Directors are Proprietor or Partner or Director of such a firm which is banned/suspended in future during the currency of the contract with you.
3. I/We agree that all disputes, if arising related to this tender, shall be within the jurisdiction of courts of Bhopal.
4. I/We undertake that the firm/Company etc. has never been blacklisted by any of the Central/State Govt. organization and no criminal case is pending against the firm/Company.
5. That the information supplied by the firm/company/bidder in the bid are true and nothing has been concealed and in case of any stage any information is found false our EMD/performance security can be forfeited and our tender can also be rejected.
6. An Inspection Team to be nominated by the PSSCIVE Authorities may make surprise inspection to ensure proper Quality and hygiene of the Food at any time.
7. In the event of any short-fall in respect of any of the item to be served to any of the guest/participants or deficiency of Service will make me liable for termination of the contract or/and the PSSCIVE Authorities Can make suitable recovery from the performance Security Deposit for any breach of Contract.

Date:

**Signature of the tenderer/bidder
Name: designation with seal of the firm/company**

पं.सुं.श. केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई, भोपाल की कैंटीन संचालन हेतु निविदा

Annexure –III

UNDERTAKING

I/We undertake that our firm having minimum infrastructure like LPG/Cylinders utensils, trained manpower and kitchen equipment i.e, cutlery, crockery, mixer, grinder, deep freezer, refrigerator, tea kettles, microwave ovens, food warmers, cash/billin machine, cleaning material and tools, raw material storage units/cupboards and any other item/equipment that may deem necessary for proper and efficient functioning of canteen.

Authorized Signatory with Official Seal/Rubber Stamp

Dated :

Place :